



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
गैरसैण ।



☎ :01363-278533

Email: cecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक
सेवा में,

674/1LA

दिनांक 11/06/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर ।

विषय:- जनपद- घमोली के अन्तर्गत पजियाणा- घडियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं० (FP/UK/ROAD/9612/2015)।

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8817/12-1: देहरादून दिनांक 23.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपके कार्यालय को प्रेषित है के कम में अनुरोध करना है कि उक्त मार्ग में निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के लिये चयनित भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामांकन किये जाने के लिये वन संरक्षण एवं संवर्द्धन- 1980 यथा संशोधित 2023 के प्रविधानों के अनुसार शासन द्वारा प्रकरण में अधिसूचना जारी की जानी है।

अतः उक्त पत्र के कम में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण सादर प्रेषित है।

संगलन:- उपरोक्तानुसार पत्र की छाया प्रति।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण ।

पत्रांक

दिनांक

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गैरसैण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण ।

प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9812/2016 जनपद चमोली के अन्तर्गत पञ्चाणा घण्डियाल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.908 है० वन भूमि का गैर यानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त ग्राम-घण्डियाल खालसा पठ्यू०-पञ्चाणा, तहसील -गैरसैण की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०ख०-30 के खसरा सं०- 05 रकबा 2.016 है० भूमि मध्ये 1.300 है० भूमि, खसरा संख्या-06 रकबा 2.25 है० भूमि मध्ये 1.300 है० एवं खसरा संख्या-07 रकबा 2.024 है० भूमि मध्ये 1.376 है० अर्थात् 3.976 है० सिविल सोयम भूमि का राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 4868/छवीस-24(2016-2017) गोपेश्वर दिनांक 26 जुलाई 2017 से हस्तान्तरित/आवंटित कर वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करा दी गई है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज करा दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-एफ/638 दिनांक 17-10-1893 के अनुसार यह भूमि रक्षित वन घोषित है। इसे पुनः रक्षित/आरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य वन संरक्षक/ निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

मुख्य वन संरक्षक/ निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email: dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

प्रमाणीय वनीधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग,
गोपेश्वर।



पत्रांक- 598

/ 12-1

गोपेश्वर 05/09/022 दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार 25, सुभाष रोड देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव/ सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3- प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
- 5- मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल उत्तराखण्ड।
- 6- जिलाधिकारी, चमोली।
- 7- गार्ड बुक।

मुख्य वन संरक्षक/ निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

मुख्य वन संरक्षक/ निदेशक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।